



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक **15-08-2025** को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1-दहेज प्रताड़ना व दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार,थाना बिलारी:-

अवगत कराना है दिनांक 26.07.2025 को वादिनी निवासी थाना बिलारी क्षेत्रांतर्गत ने अभियुक्तगण द्वारा वादिनी को दहेज के लिए प्रताड़ित कर मारपीट करने , गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने व जेठ द्वारा बलात्कार करने व पति द्वारा तीन तलाक देने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर दी। तहरीर के आधार पर थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-342/25 धारा-85/115(2)/352/351(2)/64(1) BNS व ¾ दहेज अधि0 पंजीकृत किया गया। उक्त संबंध में विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आज दिनांक 15.08.2025 को व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बिलारी द्वारा मय हमराही पुलिसबल के दुष्कर्म के आरोपी सलमान खान पुत्र यामीन नि0 इकरार नगर लकड़ा थाना अमरोहा नगर,अमरोहा को गिरफ्तार किया गया।



गिरफ्तार आरोपी:-

सलमान खान पुत्र यामीन नि0 इकरार नगर लकड़ा थाना अमरोहा नगर,अमरोहा

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

व0उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बिलारी, मुरादाबाद।

का0 सचिन सिंह थाना बिलारी, मुरादाबाद।

का0 गिरिराज सिंह थाना बिलारी, मुरादाबाद।

2. थाना सिविल लाईन्स पुलिस द्वारा कार चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुये अभियुक्त को गिरफ्तार कर, अभियुक्त के कब्जे से चोरी की कार होण्डा सिटी बरामद की गयी:-

अवगत कराना है कि दिनांक 07.07.2025 को वादी श्री हरपाल सिंह पुत्र गंधार सिंह निवासी रामआश्रम कालोनी निकट ताज बैंकट हाल थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद ने किसी अज्ञात चोर द्वारा वादी की कार सिल्वर कलर होण्डा सिटी रिजस्ट्रेशन न0- UP16AS0014 ताज बैंकट के पास सड़क किनारे से चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना सिविल लाईन्स पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना सिविल लाईन्स पर मु0अ0सं0- 514/2025 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के पंजीकृत किया गया ।



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने, चोरी की घटनाओं का शीघ्र अनावरण व संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तार हेतु पुलिस अधीक्षक नगर, मुरादाबाद के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सिविल लाईन्स मार्गदर्शन में उक्त अभियोग में चोरी की घटना का अनावरण किये जाने हेतु थाना सिविल लाईन्स पर टीम गठित की गयी । विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में गठित टीम द्वारा साक्ष्य संकलन, एवं गहनता से छानबीन की गयी तो उक्त अभियोग में

अभियुक्त प्रेम चट्टा पुत्र नवीन चट्टा निवासी सागर सराय बुध बाजार थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद का नाम प्रकाश में आया। गठित टीम द्वारा लगातार अभियुक्त की तलाश व दबिश दी जा रही थी। उक्त क्रम में आज दिनांक 15.08.2025 को गठित टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त प्रेम चट्टा पुत्र नवीन चट्टा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। तथा अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी की कार सिल्वर कलर होण्डा सिटी रजिस्ट्रेशन न0- UP16AS0014 बरामद की गयी। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0- 514/2025 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस

गिरफ्तार अभियुक्त:-

प्रेम चट्टा पुत्र नवीन चट्टा निवासी सागर सराय बुध बाजार थाना कोतवाली जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी:-

अभियुक्त के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित चोरी की कार सिल्वर कलर होण्डा सिटी रजिस्ट्रेशन न0- UP16AS0014।

पूछताछ का विवरण:-

पुलिस पूछताछ पर अभियुक्त ने बताया हरपाल सिंह के बेटे अक्षांश ने मेरे एक दोस्त से दोस्ती कर ली और उससे बहुत ज्यादा घुलने मिलने लगा था जबकि मेरा दोस्त मुझसे ही कतराने लगा। इसी बात के कारण अक्षांश और उसके घरवालों को हानि पहुँचाने के लिए मैंने अक्षांश के पिता की कार करीब 01 माह पूर्व चोरी कर ली थी, मुझे मालूम था कि इनकी कार का लॉक खराब था और वह किसी भी चाँबी से खुल जाती थी और जहाँ पर वह अपनी कार होण्डा सिटी को सड़क किनारे खड़ी करते थे वहाँ पर कोई पार्किंग व सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जब मैंने इस कार को बेचने की कोशिश की तो जरूरी कागजात न होने के कारण मैं कार नहीं बेच सका आज मैं कार से किसी कबाड़ी वाले को कार बेचने के लिये ढूँढ़ रहा था कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मनीष सक्सेना थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
- 2- उ0नि0 जुगेन्द्र कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
- 3- कां0 कर्ण थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद
- 4- कां0 विपिन कुमार थाना सिविल लाईन्स जनपद मुरादाबाद।

3-जनपदीय पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने में 15 व्यक्तियों को हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस द्वारा 15 व्यक्तियों को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 में हिरासत में लेकर माननीय न्यायालय भेजा गया।

शांति व्यवस्था भंग के आरोपीगण विवरण:-

थाना मझोला-03, थाना पाकबडा-03, थाना सिविल लाईन्स-01, थाना कांठ-01, थाना बिलारी-05, थाना भगतपुर-02